न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./19/2016/बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. देवीचन्द पुत्र गुणेशाराम का.मु.गवरी **बनाम**1.सालगाराम पुत्र गणेशाराम वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनलाल चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 04.08.2021

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2004 वाद संख्या 58/1998 के संबंध में कोई जानकारी अपीलकर्तागण को उनके मृतक पिता देवीचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलकर्ता को नही दी प्रथम बार ऐसे तथ्य की जानकारी म्यूटेशन अपील अपीलकर्तागण की ओर से श्री उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करने, से अपील प्रकरण में प्रथमबार ऐसे वाद के तथ्यों की जानकारी दिनांक 12.01.2016 को वर्तमान प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 01 सालगाराम द्वारा लिखित जबाव पेश कर उज्र उठाने से हुई तदोपरांत ऐसे वाद की जानकारी कर ऐसे वाद की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 09.02.2016 को चाही जो दिनांक 10.02.2016 को प्राप्त हुई जिससे अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब ज्यादा नहीं है। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी विंदुओं पर निरस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्‌भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्व का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के विन्दु पर ही प्रकरण का निरस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेष करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के वाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद वाहर है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अभिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 106/1992 पेश किया गया जो दिनांक 17.08.1994 को निर्णित हुआ उसके बाद तकरीबन 04 वर्ष बाद हस्तगत दावा पेश किया गया। उक्त सुदीर्घ अवधि के बाद नवीन दावा पेश करने में हुई देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2004 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.02.2016 को पेश की गई। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 के प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया कि अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तो अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रति काफी विलंब के बाद पेश करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावाश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 12 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर